संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र/ क्ष.स्वा.कम./क्ष.स्वा./20/5703 भोपाल, दिनांक 13/07/2020

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश

विषयः मातृ स्वास्थ्य अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु संभाग/जिला/विकासखण्ड/सेक्टर स्तर पर समीक्षा बैठक के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश

संदर्भः— क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2018/786 दिनांक 22.5.2018

दिनांक 29 जून 2020 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे मातृ स्वास्थ्य समीक्षा बैठक के दौरान निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से नियमित एजेण्डा वार मानीटरिंग की जाए।

आपको निर्देशित किया जाता है कि मातृ स्वास्थ्य अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों की संभाग, जिला, विकासखंड एवं सेक्टर स्तर पर प्रतिमाह एक निश्चित दिवस पर समीक्षा बैठकें निम्नानुसार आयोजित की जाए, जिससे गतिविधियों की नियमित मानीटरिंग हो सकेगी एवं कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

1. **सेक्टर स्तर**— सेक्टर स्तर पर सेक्टर अधिकारी की अध्यक्षता में उप स्वास्थ्य केन्द्र वार सेक्टर सुपरवाईजर, सीएचओ, एल.एच.व्ही., ए.एन.एम. आशा तथा आशा सहयोगी की माह के चतुर्थ सप्ताह के शनिवार को समीक्षा बैठक।

एजेण्डा— प्रातः 10.30 से बैठक का अयोजन निम्नानुसार विषयों पर किया जाए—

क्र.	विषय
1	संभावित लक्ष्य दंपत्ति के विरूद्ध पंजीयन की स्थिति – एमपीअनमोल
2	गर्भवती महिलाओं की एएनसी पंजीयन की स्थिति – एमपीअनमोल
3	प्रथम त्रैमास में पंजीयन की समीक्षा – एमपीअनमोल
4	गर्भवती महिलाओं की चार जांचों की समीक्षा – एमपीअनमोल
5	चिन्हित गर्भवती महिलाओं में से हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के चिन्हांकन की समीक्षा – एमपीअनमोल
6	बैचिंग मैचिंग के आधार पर गर्भवती महिलाओं की चिकित्सक द्वारा जांच की समीक्षा – एमपीअनमोल
7	बैचिंग मैचिंग के आधार पर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा विकासखंड/जिला चिकित्सालय/सिविल अस्पताल में जांच की समीक्षा – एमपीअनमोल
8	मोडरेट एवं सीवियर एनीमिक महिलाओं को आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के समस्त डोज तथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की समीक्षा
9	समुदाय स्तर पर होने वाली प्रत्येक मातृ मृत्यु प्रकरणों की समीक्षा तथा मातृ मृत्यु प्रकरणों की रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु विकासखंड स्तर पर प्रेषित करना – लाईन लिस्टिंग
10	घरेलू प्रसव वाले ग्रामों तथा कारणों की समीक्षा एवं मीजोप्रीस्टोल के उपयोग की समीक्षा – एचएमआईएस
11	मातृ स्वास्थ्य अंतर्गत दी जाने वाली योजनाओं के संबंध में समस्त कार्यकर्ताओं को अवगत कराना
12	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी द्वारा ए.एन.एम. के बी.पी. हिमोग्लोबिन एवं यूरिन की जॉच हेतु आवश्यक सामग्री, औषधि (आईएफए, फोलिक एसिड, कैल्शियम एवं एल्बेन्डाजॉल) की उपलब्धता की समीक्षा
13	अनमोल एप में समस्त एएनएम की शत प्रतिशत प्रविष्टि की समीक्षा
14	स्टॉफ एवं अन्य अधिकारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा
	प्रत्येक माह होने वाली बैठक के कार्यवाही विवरण एलएचव्ही/सुपरवाईजर द्वारा तैयार किए जाएगें तथा पिछली बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक माह होने वाली बैठक के कार्यवाही विवरण को विकासखंड स्तर पर प्रेषित करना।

2. **विकासखंड स्तर**– विकासखंड स्तर पर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में सेक्टर चिकित्सा अधिकारी, सी.बी.एम.ओ. बी.ई.ई. बी.पी.एम. बी.सी.एम., सीएचओं, सुपरवाईजर, ए.एन.एम. एवं सहयोगी संस्थाओं के कॉओर्डिनेटर की **माह के तृतीय सप्ताह के गुरूवार** को समीक्षा बैठक। बैठक में जिले के जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं डी.एच.ओ. –1 द्वारा एक–एक विकासखंड की बैठक में भाग लियों जाए।

एजेण्डा– प्रातः 10.30 बजे से बैठक का आयोजन निम्नानुसार विषयों पर किया जाए–

क्र.	विषय
1	गर्भवती महिलाओं की एएनसी पंजीयन की सेक्टरवार समीक्षा। कमजोर सेक्टर में नॉन परफामर एएनएम की समीक्षा
2	चिन्हित गर्भवती महिलाओं में से हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संख्या के आधार पर समीक्षा
3	बैचिंग मैचिंग के आधार पर गर्भवती महिलाओं की चिकित्सक द्वारा जांच की समीक्षा – एमपीअनमोल
4	बैचिंग मैचिंग के आधार पर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा विकासखंड/जिला चिकित्सालय/सिविल अस्पताल में जांच की समीक्षा – एमपीअनमोल
5	पीएचसी वार मोडरेट एवं सीवियर एंनीमिक महिलाओं को आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के समस्त डोज तथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की समीक्षा
6	विकासखंड अंतर्गत आने वाले डिलेवरी पाईंट की अक्रियाशीलता की समीक्षा
7	डिलेवरी पाईंट पर मेगसेल्फ, आक्सीटोसिन, ग्लवज, विटामिन के आदि की समीक्षा
8	ए.एन.एम. मेंटर्स एवं नर्सिंग मेंटर्स द्वारा किये गये गेप एनालिसिस के आधार पर की गई सुधारात्मक कार्यवाही
9	समुदाय स्तरीय प्रत्येक मातृ मृत्यु प्रकरणों की समीक्षा तथा सुधारात्मक कार्यवाही – लाईन लिस्टिंग
10	घरेलू प्रसव वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों के कारणों की समीक्षा तथा सुधारात्मक कार्यवाही
11	जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूति सहायता योजना के भुगतान की समीक्षा
12	स्टॉफ एवं अन्य अधिकारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा
	प्रत्येक माह होने वाली बैठक के कार्यवाही विवरण बीपीएम/बीसीएम द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा पिछली बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक माह होने वाली बैठक के कार्यवाही विवरण को जिला स्तर पर प्रेषित करना।

3. **जिला स्तर**– जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, डी.एच.ओ.–1, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, एम. एण्ड ई. एवं सहयोगी संस्थाओं के कॉओर्डिनेटर की **माह के द्वितीय सप्ताह के गुरूवार** को समीक्षा बैठक।

एजेण्डा– प्रातः 10.30 बजे से बैठक का आयोजन निम्नानुसार विषयों पर किया जाए–

क्र.	विषय
1	जिले की अनुमानित गर्भवती महिलाओं की संख्या के आधार पर गर्भवती महिलाओं की पंजीयन की समीक्षा। कम पंजीयन के संदर्भ में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को पंजीयन करने एवं उसकी प्रविष्टि की समीक्षा
2	डिलेवरी पाईंट की अक्रियाशीलता की समीक्षा
3	विकासखंडवार एवं सेक्टरवार हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संख्या तथा बैचिंग मैचिंग के आधार पर सेक्टर चिकित्सा अधिकारियां एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच की समीक्षा
4	सीवियर एनीमिक प्रकरणों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्थिति की समीक्षा
5	नर्सिंग मेंटर्स द्वारा दिये गये गेप एनालिसिस के आधार पर समीक्षा एवं कार्यवाही
6	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा (भोजन प्रदायगी, ड्रग्स एण्ड कन्ज्यूमेबल्स, जांचे, यू.एस.जी. रेफरल परिवहन)
7	मातृ मृत्यु की रिर्पोटिंग एवं रिव्यूव की समीक्षा तथा तदनुसार कार्यवाही (एच.एम.आई.एस. एवं लाईन लिस्टिंग के आधार पर)
8	मेडिकल कॉलेज में रेफर किये गये प्रकरणों की समीक्षा
9	जिलों के समस्त अस्पतालों में औषधि एवं सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा
10	जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूति सहायता योजना के भुगतान की समीक्षा
11	माह में किये गये व्यय की समीक्षा
12	स्टॉफ एवं अन्य अधिकारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा
	प्रत्येक माह होने वाली बैठक के कार्यवाही विवरण डीपीएम द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा पिछली बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक माह होने वाली कार्यवाही विवरण को संभाग स्तर पर प्रेषित करना।

जिला स्तर पर होने वाली बैठक का वीडियो तैयार किया जावें एवं कार्यवाही विवरण तथा वीडियो को राज्य स्तर पर आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाए।

4. **संभाग स्तर**– संभाग स्तर पर क्षेत्रीय संचालक की अध्यक्षता में क्षेत्रीय संचालक कार्यालय के उप संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आर.एम.एन.सी.एच.ए. कॉओर्डिनेटर एवं सहयोगी संस्थाओं के कॉओर्डिनेटर की माह के प्रथम सप्ताह को समीक्षा बैठक।

एजेण्डा– प्रातः 10.30 बजे से बैठक का आयोजन निम्नानुसार विषयों पर किया जाए–

क्र.	विषय
1	डिलेवरी पाईंट की अक्रियाशीलता की समीक्षा
2	एफ.आर.यू. में एलएससीएस तथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की समीक्षा
3	ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज यूनिट की अक्रियाशीलता एवं बी.टी. की समीक्षा
4	मातृ मृत्यु की रिर्पोटिंग एवं रिव्यूज की समीक्षा (एच.एम.आई.एस एवं लाईन लिस्टिंग रिर्पोटिंग के आधार पर)
5	मेडिकल कॉलेज में रेफर किये गये प्रकरणों की समीक्षा
6	स्किल्स लैब एवं संभाग स्तरीय प्रशिक्षणों की समीक्षा
7	जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूति सहायता योजना के भुगतान की समीक्षा
8	माह में किये गये व्यय की समीक्षा
	प्रत्येक माह होने वाली बैठक के कार्यवाही विवरण आरएमएनसीएच ए कॉओर्डिनेटर द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा पिछली बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक माह होने वाली कार्यवाही विवरण को राज्य स्तर पर प्रेषित करना।

उक्त बैठकों में समीक्षा एमपीअनमोल, एचएमआईएस, लाईन लिस्टिंग के आधार पर एक माह पूर्व के (यदि बैठक मार्च में है तो जनवरी माह का डाटा) डाटा के आधार पर की जावें।

अपर संचालक, प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

पृ.क्र / भ्रन.भ्रच.भ्रम./भ्रम.भ्रच./20/5704
भोपाल, दिनांक 13/07/2020

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र.।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4. मिशन संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों की ओर तत्काल पालनार्थ– द्वारा समस्त मु.चि. एवं स्वा.अ., म.प्र.।

अपर संचालक, प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.